

Justification

जिला बुरहानपुर के अन्तर्गत सुक्ता नवाड झिरपांजरिया मार्ग का उन्नयन कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें 2.38 हैक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है।

उक्त मार्ग का उन्नयन हो जाने पर यहां रहने वाले ग्रामवासियों को आने-जाने में सुविधा होगी एवं दुर्घटनाओं में कमी होगी तथा ग्रामवासियों का आवागमन सुगम हो सकेगा।



कार्यपालन यंत्री,
लोनिवि संभाग बुरहानपुर